फा.सं जेड 20013/01/2024-सीडीएन

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वासथ्य और परिवार कल्याण विभाग

समन्वय अनुभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 18 अप्रैल, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के बारे में महत्वपूर्ण विकास संबंधी मासिक रिपोर्ट

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त उल्लेखित विषय के संबंध में दिनांक 04-02-2022 के मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/50/1/2017-मंत्रिमंडल का संदर्भ लेने और इसके साथ मार्च 2024 माह के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के बारे में महत्वपूर्ण विकास संबंधी मासिक रिपोर्ट आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

संलग्न- यथोक्त

अमित कुमार

अवर सचिव, भारत सरकार

फोन नं 011-23061875

सेवा में

मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वासथ्य और परिवार कल्याण विभाग

मासिक मंत्रिमंडल रिपोर्ट, फरवरी, 2024

1. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और मुख्य उपलब्धियां:

क. फ्लैगशिप कार्यक्रमों की प्रगति:

i) एचडब्ल्यूसी पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1,80000 परिचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (पूर्ववर्ती आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र) के संशोधित लक्ष्य की तुलना में दिनांक 31-03-2024 तक एएएम पर रिकॉर्ड 258.88 करोड़ से अधिक रोगियों के पहुंचने के साथ 1,72,148 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) को परिचालित किया जा चुका है। दिनांक 31-03-2024 की स्थिति के अनुसार योग सहित 3.22 करोड़ आरोग्य सत्रों का आयोजन किया जा चुका है 63.64 करोड़ उच्च रक्तचाप जांच, 55.44 करोड़ मधुमेह संबंधी जांच, 37.35 करोड़ मुख के कैंसर की जांच, 16.77 करोड़ स्तन कैंसर संबंधी जांच, 11.23 करोड़ सर्वाइकल कैंसर संबंधी जांच और 21.59 करोड़ टेलीपरामर्श की गई हैं। मार्च 2024 माह के दौरान 4104 एएएम को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को हाल ही में परिचालित किया गया है।

ii) राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत दिनांक 31-3-2024 तक 17 चिहिन्त राज्यों में कुल 2,61,38,391 व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है और कुल 1,04,51,371 सिकल सेल कार्ड का वितरण किया गया है। मार्च 2024 माह के दौरान सिकल सेल एनीमिया के लिए 41,34,219 व्यक्तियों की जांच की गई है।

iii) आयुष्मान भव अभियान की शुरूआत दिनांक 17-9-2023 से हुई है इस अभियान के दौरान 9.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड और 13.48 करोड़़ एबीएचए आईडी सृजित की जा चुकी है (मार्च 2024 माह में 2.38 करोड़ आयुष्मान कार्ड और 2.14 करोड़ एबीएचए आई डी सृजित की गई है)। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर कुल 24.66 लाख आयुष्मान मेलों का आयोजन किया गया जिसमें 17.84 करोड़ से अधिक रोगियों ने भाग लिया (मार्च 2024 माह में 3.63 लाख आयुष्मान मेलों का आयोजन किया गया जिसमें आने वाले रोगियों की कुल संख्या 2.51 करोड़ रही)। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर आयोजित मेलों के दौरान टीबी, उच्च रक्त चाप, मधुमेह, मूह के कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और मोतियाबिंद के लिए 34.39 करोड़ से अधिक जांचें की गई (मार्च 2024 माह में 4.85 करोड़ जांच की गई) । इसके अतिरिक्त नि:शुल्क औषधियों और नैदानिक सेवाओं से क्रमश: 11.69 करोड़ और 9.28 करोड़ से अधिक

लोग पहले ही लाभ उठा चुके हैं (मार्च 2024 माह् में नि:शुल्क औषधियों से 1.68 करोड़ व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं और नि:शुल्क नैदानिक सेवाओं से 1.33 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है)। प्रत्येक ब्लॉक में विशेषज्ञ सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा कॉलेजों के समन्वय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में 59,193 आयुष्मान भव मेलों का आयोजन किया गया है जिसमें कुल 2.82 करोड़ से अधिक रोगियों ने भाग लिया (मार्च 2024 माह् में सीएचसी में 7.397 आयुष्मान मेलों का आयोजन किया गया जिसमें कुल 40.53 लाख रोगियों ने भाग लिया)। सीएचसी स्तरीय आयुष्मान मेलों में 1.11 करोड़ नि:शुल्क प्रयोगशाला जांच की गई (मार्च 2024 माह् में 16.04 लाख नि:शुल्क प्रयोगशाला जांच की गई)। इसके अतिरिक्त सीएचसी स्तरीय मेलों में 2.61 लाख लोगों ने बड़ी और छोटी सर्जरी की सुविधाओं का भी लाभ उठाया (मार्च 2024 माह् में 31000 व्यक्तियों ने ऐसी नि:शुल्क शल्य चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया)।

ख. विधायी, विनियामक उपाय और विविध मामले

i) नर्सिंग शिक्षा बढ़ाने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों की सह-अवस्थिति में नए नर्सिंग कॉलेजों (सीओएन) की स्थापना के चार प्रस्तावों को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

ii) राष्टीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एनएमसी) के नियमों के संबंध में राजपत्र अधिसूचना को दिनांक 13.03.2024 को अधिसूचित किया गया था।

iii) प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अबंसरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) : पीएम-एबीएचआईएम के तहत निम्नलिखित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था:

- **तमिलनाडु:** दिनांक 6 मार्च, 2024 को, वित्त वर्ष 2022 -23 के लिए 14.47 करोड़ रू., वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 40.08 करोड़ रू. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 182.45 करोड़ और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 459.09 करोड़ रू. की राशि को अनुमोदन प्रदान किया गया था।
- **तेलंगाना:** दिनांक 6 मार्च, 2024 को वित्त वर्ष 2023-24 के वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अतिरिक्त 4 बस्ती दवाखानों (शहरी-आयुष्मान आरोग्य मंदिर) के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।
- **ओडिशा:** दिनांक 6 मार्च, 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 285.85 करोड़ की राशि और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 100.59 करोड़ रू. की राशि को अनुपूरक अनुमोदन प्रदान किया गया था।
- **जम्मू और कश्मीर:** दिनांक 6 मार्च.2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 153.32 करोड़ रू. की धन-राशि को अनुमोदन प्रदान किया गया था।

- **पंजाब:** दिनांक 6 मार्च.2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 197.373 करोड़ रू. की धन-राशि को अनुमोदन प्रदान किया गया था।
- **महाराष्ट्र:** दिनांक 15 मार्च, 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 172.58 करोड़ रू. और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 373.95 करोड़ रू. की धन-राशि को अनुमोदन प्रदान किया गया था।
- **झारखण्ड:** दिनांक 15 मार्च, 2024 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 44.50 करोड़ रू. की राशि के दो 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (सीसीबी) अर्थात एक गिरीडिही जिले में और एक रामगढ जिले में, को अनुमोदन प्रदान किया गया था।
- **कर्नाटक:** दिनांक 15 मार्च, 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 524.06 करोड़ रू. और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 404.87 करोड़ रू. की धन-राशि को अनुमोदन प्रदान किया गया था।

iv) भारत के अनुसंधान, नवाचार और शिक्षा के दायरे में सामर्थ्य और प्राथमिकताओं के बारे में अध्ययन करने के लिए, डेनमार्क के मंत्री के भारत में अध्ययन दौरे के भाग के रूप में दिनांक 06.03.2024 को माननीय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड साइंस, डेनमार्क की माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के साथ बैठक आयोजित की गई थी।

2. **दीर्घकालिक अंतर-मंत्रालयी परामर्शों में रखे गये महत्वपूर्ण नीतिगत मामले:** शून्य
3. **अभियोजन के लिए स्वीकृति हेतु ऐसे मामलों की संख्या जो तीन महीने से अधिक समय से लंबित हैं:** शून्य
4. **उन मामलों का विवरण जहां सरकार के कार्य संव्यवहार नियमों या स्थापित नीति से विचलन हुआ है:** शून्य
5. **चल रहे स्वच्छता अभियान की स्थिति (विशेष अभियान के अन्तर्गत प्रगति):**

'विशेष अभियान 3.0' के समाप्त होने के बाद भी (2 अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक आयोजित) विशेष अभियान के कार्यकलाप अर्थात संसद सदस्यों के सन्दर्भों, राज्य सरकारों के संदर्भों, अंतर मंत्रालयी संदर्भों (मंत्रिमंडल टिप्पणों), संसदीय आश्वासनों, पीएमओ संदर्भों, लोक शिकायतों और संबंधित अपीलों के आदि में लंबित मामलों का निपटान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संबंद्ध कार्यालयों अधीनस्थ कार्यालयों स्वायत्त साशी निकायों, सीपीएसयू आदि सहित इसके सभी कार्यालयों में सुशासन के भाग के रूप में जारी रहा है।

6. **स्वायत्त शासी संस्थानों के सुव्यवस्थीकरण की स्थितिः**

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एमएमसी) के साथ राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड का एकीकरण विचारधीन है।

7. **शासन और विकास में अन्तरिक्ष तकनीक आधारित उपकरणों और अनुप्रयोग के उपयोग के लिए उठाये गये विशेष कदमों की जानकारी:** शून्य

8. **स्वायत्त शासी संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय/विभाग, में वरिष्ठ स्तरीय नियुक्ति के लिए रिक्त पद**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में वरिष्ठ स्तरीय नियुक्तियों के रिक्त पद

क्र.सं.	पद	पदों की संख्या
1.	अपर सचिव	1
2.	संयुक्त सचिव	2

9. **उन मामलों की संख्या जहां एसीसी निर्देशों का अनुपालन न किया गया हो:** शून्य

****